उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,
नई दिल्ली

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

अध्याय 1
प्रारम्भिक

धारा पृष्ठ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना 1
2. परिभाषाएँ 1
3. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना 7

अध्याय 2
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

4. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् 8
5. केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों की प्रक्रिया 8
6. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्य 8
7. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् 8
8. राज्य परिषद् के उद्देश्य 9
8—क. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् 9
8—ख. जिला परिषद् का उद्देश्य 9

अध्याय 3
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

9. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना 10
10. जिला पीठ की संरचना 10
11. जिला पीठ की अधिकारिता 11
12. रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा 12
13. परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया 13
14. जिला पीठ के निष्कर्ष 15
15. अपील 17
16. राज्य आयोग की संरचना 17
17. राज्य आयोग की अधिकारिता 19
17—क. मामलों का अन्तरण 20
17—ख. सर्किट पीठ 20
18. राज्य आयोग के लिए लागू प्रक्रिया 20
18—क. {विलुक्त} 20
19. अपील 20
19—क. अपील की सुनवाई 20
20. राष्ट्रीय आयोग का गठन 21
21. राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता 22
22. राष्ट्रीय आयोग की प्रयोज्य शक्ति तथा प्रक्रिया 23
22—क. एक पक्षीय आदेशों को अपास्त करने की शक्ति 23
22—ख. मामलों का अन्तरण 23
22—ग. सर्किट पीठें 23

धारा
22—घ. अध्यक्ष पद की रिक्ति 23
23. अपील 24
24. आदेशों की अन्तिमता 24
24—क. परिसीमा अवधि 24
24—ख. प्रशासनिक नियंत्रण 24
25. जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन 25
26. व्यर्थ या तंग परिवादों का रद्द किया जाना 25
27. शास्तियाँ 25
27—क. धारा 27 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील 26

अध्याय 4
प्रकीर्ण

28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण 26
28—क. नोटिस इत्यादि की तामील 26
29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 27
29—क. रिक्तियों या नियुक्ति में त्रुटियों से आदेशों का अविधिमान्य न होना 27
30. नियम बनाने की शक्ति 27
30—क. राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति 28
31. संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नियमों तथा विनियमों का रखा जाना 28

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

(1986 का अधिनियम संख्यांक 68)

{24 दिसम्बर, 1986}

उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियम की जा सकेंगी।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होगा

2. परिभाषाएँ – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

[2]{(क) "समुचित प्रयोगशाला" से प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है –

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त;

(ii) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, केन्द्र सरकार द्वारा इस बावत निर्धारित मार्गदर्शन के विषयाधीन रहते हुये; अथवा

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई प्रयोगशाला या संगठन जिसको केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा यह अवधारित करने की दृष्टि से कि क्या किसी माल में कोई त्रुटि है, ऐसे माल का विश्लेषण या परीक्षण कराने के लिये अनुरक्षण, वित्तपोषण या सहायता प्रदान की जाती है।}

[3]{(कक "शाखा कार्यलय" से अभिप्रेत है–

(i) विपरीत पक्ष के द्वारा शाखा के रूप में वर्णित कोई संस्थान; या

(ii) संस्थान के मुख्य कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के समान या सारतः समान कार्यवाही करने वाला संस्थान;}

(ख) "परिवादी" से अर्थ है–

(i) कोई उपभोक्ता; या

---

[1] इस अधिनियम के अध्याय 1, 2 और 4 के उपबंध जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 15–4–1987 को प्रवृत हो गए हैं: देखिए भारत का राजपत्र, 1987, असाधारण, भाग 2 खंड 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं० कानूनी आदेश 390 (अ), तारीख 15–4–1987।

[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम; या

;(iii) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार जो परिवाद करती है,

[1]{(iv) जहाँ बहुसंख्यक उपभोक्ताओं का समान हित हो, एक या एक से अधिक उपभोक्तागण;

[2](v) उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में, उसका विधिक वारिस या प्रतिनिधि, जो परिवाद करता है;}

(ग) "परिवाद" में किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि–

[3]{(i) किसी व्यापारी [4]{या सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा} अनुचित व्यापार अथवा प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा का उपयोग किया गया है;}

(ii) [5]{उसके द्वारा क्रय किया अथवा क्रय करने के लिए सहमत माल} में एक या अधिक त्रुटियां हैं;

(iii) [6]{उसके भाड़े पर ली गयी या उपयोगिता अथवा भाड़े पर लिये जाने या उपयोग किये जाने के लिए सहमत सेवायें} में किसी भी प्रकार की कोई कमी है;

[7]{(iv) व्यापारी या सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति ने परिवाद में वर्जित माल या सेवा के लिए उस मूल्य से अधिक मूल्य लिया है :–

(क) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत किया गया है :

(ख) जिसे ऐसे माल या ऐसे माल को अन्तर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर संप्रदर्शित किया गया है;

(ग) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित की गई मूल्य सूची पर संप्रदर्शित किया गया है;

(घ) जिस पर पक्षकारों के मध्य सहमति हुई है।}

[8]{(v) माल, जो कि उपयोग के समय जीवन व सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण है; को–

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, ऐसे मालों की सुरक्षा से सम्बन्धित किसी मानक, जैसा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, के उल्लंघल में,

(ख) यदि व्यापारी सम्यक् तत्परता से यह जान सकता था कि इस प्रकार प्रस्ताावित माल, जनसाधरण के लिए असुरक्षित है;}

जनसाधरण के विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[6] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[8] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित तथा 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]{(vi) सेवा, जो कि उपयोग के समय जनसाधारण के जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण है या उसके जोखिमपूर्ण होने की सम्भावना है, को ऐसे सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिसे ऐसा व्यक्ति सम्यक् तत्परता से उसके जीवन तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक होना जान सकता था।}

(घ) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो–

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है, और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है, और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है; और

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है और वचन दिया गया है और भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को [2]{भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है} ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है जब ऐसे सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, [3]{किन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन से ऐसी सेवाओं का उपयोग करता है।}

[4]{स्पष्टीकरण –इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक प्रयोजन" में स्वरोजगार के साधनों द्वारा अपनी आजीविका के उपार्जन करने हेतु एक मात्र उद्देश्य के लिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उन मालों का, जिसे उसने क्रय किया है और उपयोग किया है, और उन सेवाओं का जिसका उसने उपयोग किया है, का उपयोग शामिल नहीं है।}

(ड़) "उपभोक्ता विवादों" से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है;

(च) "त्रुटि" से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे [5]{अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अंतर्गत या} किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी माल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है, कोई दोष, अपूर्णता, या कमी अभिप्रेत है;

(छ) "कमी" से ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति से जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के सम्बन्ध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबंध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है;

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(ज) "जिला पीठ" से धारा 9 के खंड (क) के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ अभिप्रेत है;

(झ) "माल" से माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3) में यथा परिभाषित माल अभिप्रेत है;

[1]{(ञ) "विनिर्माता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो–

(i) किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है; या

(ii) किसी माल को नहीं बनाता है या उसका विनिर्माण नहीं करता है किन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए या विनिर्मित उसके भागों का समंजन करता है, या

(iii) किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए या विनिर्मित किसी माल पर अपना स्वयं का चिह्न लगाता है या लगवाता है, बनाया गया या विनिर्मित माल है।}

स्पष्टीकरण – जहाँ कोई विनिर्माता किसी माल या उसके भाग को अपने द्वारा बनाए रखे गए किसी शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करता है, वहाँ ऐसे शाखा कार्यालय के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विनिर्माता है यद्यपि उसमें इस प्रकार प्रेषित पुर्जों का ऐसे शाखा कार्यालय में समंजन किया जाता है और ऐसे शाखा कार्यालय से विक्रय या वितरण किया जाता है;

[2]{(ञञ) "सदस्य" में राष्ट्रीय आयोग या एक राज्य आयोग या एक जिला फोरम का, जैसी भी स्थिति हो, शामिल है;}

(ट) "राष्ट्रीय आयोग" से धारा 9 के खंड (ग) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड) "व्यक्ति" के अन्तर्गत है–

(i) कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या न हो;

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;

(iii) कोआपरेटिव सोसाइटी;

(iv) व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संगम चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो;

(ढ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

[3]{(ढढ) 'विनियम' से इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्मित "विनियमावली" अभिप्रेत है।}

[4]{(ढढढ) प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा से अभिप्रेत है ऐसी कोई व्यापारिक प्रथा जिसकी प्रवृत्ति मालों या सेवाओं से सम्बन्धित बाजार में ऐसी रीति में कीमत की हेराफेरी या परिदान की इसकी शर्तों में परिवर्तन करने वाली हो या आपूर्ति के बहाव को प्रभावित करने वाली हो ताकि उपभोक्ताओं पर अनुचित कीमतें या प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जा सके और उसमें सम्मिलित होगी–

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित तथा 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उस अवधि से परे का विलम्ब, जिस पर ऐसे मालों की आपूर्ति में या सेवाओं को प्रदान करने में व्यापारी द्वारा करार किया गया है जिससे कीमत में वृद्धि हो गई हैं या होने की सम्भावना है;

(ख) कोई ऐसी व्यापार प्रथा, जो किसी माल या सेवा को क्रय करने या उपयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में अन्य माल या सेवा जैसी भी स्थिति हो, कम करने या उपयोग करने की अपेक्षा करती है।}

(ण) "सेवा" से किसी भी प्रकार की कोई सेवा अभिप्रेत है जो उसके [1]संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अन्तर्गत, किन्तु उस तक सीमित नहीं, बैंकिंक, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय बोर्ड या निवास अथवा दोनों [2]{गृह निर्माण} मनोरंजन, आमोद–प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुँचाने के सम्बन्ध में सुविधाओं का प्रबंध भी है किन्तु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का किया जाना नहीं है;

[3]{(णण) "बनावटी माल और सेवाएं" से ऐसा माल और सेवाएं अभिप्रेत हैं जिसके यथार्थ होने का दावा किया जाता है किन्तु वास्तव में वे वैसा नहीं होते हैं।}

(त) "राज्य आयोग" से धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन किसी राज्य के लिए स्थापित कोई उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(थ) किसी माल के सम्बन्ध में "व्यापारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रयार्थ किसी माल का विक्रय या वितरण करता है और इसके अंतर्गत उसका विनिर्माता भी है और जहाँ ऐसे माल का विक्रय या वितरण पैकेज के रूप में किया जाता है वहाँ इसके अंतर्गत इसका पैकर भी है;

[4]{(द) "अनुचित व्यापार प्रथा" से अभिप्रेत है, किसी माल की ब्रिकी, प्रयोग या आपूर्ति की वृद्धि के लिए अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए निम्न को शामिल करते हुए अपनाया गया कोई अनुचित तरीका या अनुचित धोखाधड़ी, नामतः–

(1) मौखिक रूप से या लिखित रूप से या प्रकट अभिवेदन की प्रथा द्वारा जो–

(i) यह झूठा प्रतिनिधान है कि कोई माल विशिष्ट मानक, गुण, संरचना, किस्म, या प्रतिमान का है,

(ii) ऐसा झूठा प्रतिनिधान है कि सेवायें विशिष्ट स्तर, गुण या श्रेणी की हैं;

(iii) ऐसा झूठा प्रतिनिधान है कि पुनर्निर्मित, पुरानी, नवीकृत, पुनः अनुकूलित, वस्तु नयी है।

(iv) यह प्रतिनिधान करता है कि वस्तु अथवा सेवाओं को किसी के द्वारा प्रायोजित, अनुमोदित निर्मित, किया गया है या उसमें विशेषित उपकरण, उपयोग या लाभ के हैं जबकि वे ऐसी वस्तु या सेवा के सम्बन्ध में न हो;

(v) यह प्रतिनिधान करता है कि ऐसी वस्तु या सेवा को कोई प्रयोजन, अनुमोदन या सम्बद्धता प्राप्त है जबकि ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को वास्तव में वह प्राप्त न हो;

(vi) किसी वस्तु या सेवाओं के सम्बन्ध में उनकी अनावश्यकता व उपयोगिता बाबत गलत या भ्रामक प्रतिनिधान करता है;

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
[4] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(vii) उत्पाद या किसी वस्तु के निष्पादन, कार्यक्षमता तथा टिकाऊपन के सम्बन्ध में जनता को ऐसी गारण्टी या वारण्टी देना जो कि उसकी पर्याप्त या उचित जांच पर आधारित नहीं है;

परन्तु जहाँ इस आशय की प्रतिरक्षा ली जाती है कि ऐसी वारण्टी या गारण्टी उचित व पर्याप्त परीक्षण पर आधारित है तो ऐसी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कि ऐसी प्रतिरक्षा उठाता है,

(viii) जनसाधारण के समक्ष ऐसे प्रारूप में निरूपण प्रस्तुत करता है जिसका तात्पर्य है–

(i) किसी उत्पाद या वस्तु या सेवा वारण्टी या गारण्टी; या

(ii) वस्तु या उसके उपांग को बदलने, अनुरक्षण करने या मरम्मत करने या जब तक कि कोई विशेष परिणाम प्राप्त न हो सेवा की पुनरावृति या जारी रखना,

यदि ऐसी वारण्टी या गारण्टी या वायदा सारवान रूप से भ्रमित करने वाला है या ऐसी वारण्टी या गारण्टी या वायदे के क्रियान्वयन के समुचित आधार नहीं है;

(ix) जनता को सारवान रूप से मूल्य के बारे में भ्रम पैदा करता है जिस पर उत्पाद या मिलता–जुलता उत्पाद या वस्तुयें या सेवायें बेची गयी हैं या आमतौर पर विक्रय की जाती हैं तथा इस उद्देश्य के लिए, मूल्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधान उसको मूल्य संदर्भित करने वाला समझा जाएगा जिस पर उत्पाद या माल या सेवाओं को संगत बाजार में सामान्यतः विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है या प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह विहित न हो कि किस मूल्य पर उस व्यक्ति द्वारा उत्पाद को विक्रय या सेवाओं को प्रदाय किया गया है, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से प्रतिनिधान किया जाता है;

(x) दूसरे व्यक्ति को वस्तु या सेवा या व्यापार के सम्बन्ध में भ्रामक या मिथ्या तथ्य देता है।

स्पष्टीकरण – उपखण्ड (1) के आशय के लिये कोई कथन है –

(क) वस्तु या इसके रैपर या इसके अंतर्वेष्टिक पर विक्रय को प्रस्तावित या प्रदर्शित करना अभिव्यक्त किया जाता है; या

(ख) विक्रय के लिये प्रदर्शित या प्रस्तावित वस्तु से संलग्न, जोड़ी गयी, या साथ की वस्तु पर अभिव्यक्त किया जाता है जिसमें वस्तु को प्रदर्शन या विक्रय के लिए मुढ़ा गया है; या

(ग) जो कि ऐसी वस्तु में या पर अन्तर्निहित हैं जो विक्रय की जाती है, भेजी जाती है, सुपुर्द की जाती है, पारेषित की जाती है अथवा अन्य कोई तरीका जो जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाता है, इसको उसी व्यक्ति द्वारा और मात्र उसी व्यक्ति द्वारा जिसने कि ऐसा कथन अभिव्यक्त किया है या अन्तर्निहित किया है जनसाधारण को कथन करना माना जाएगा।

(2) समाचारपत्र या अन्य किसी रूप में उन वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या प्रदाय को सौदा मूल्य पर देने के लिए, किसी विज्ञापन के प्रकाशन की स्वीकृति देता है जो सौदा मूल्य पर विक्रय या प्रदाय करने के लिये अभिप्रेत नहीं है या उस अवधि के लिये या उस मात्रा में दिया जाना, उस बाजार जिसमें व्यवसाय किया जाता है के स्वरूप व व्यवसाय के स्वरूप व आकार व विज्ञापन प्रकृति को ध्यान में रखते हुये अभिप्रेत नहीं है।

स्पष्टीकरण – खण्ड (2) के आशय के लिये "सौदा मूल्य" से आशय है–

(क) ऐसा मूल्य जो कि विज्ञापन में सामान्य मूल्य या अन्यथा के सन्दर्भ के द्वारा सौदा मूल्य होना कहा गया है; अथवा

(ख) उस मूल्य से है जिस पर उत्पाद विज्ञापित किया जाता है, अथवा मिलता–जुलता उत्पाद सामान्यतः विक्रय किया जाता है जो ऐसा मूल्य है जो कोई व्यक्ति जो विज्ञापन पढ़ता, सुनता या देखता है युक्तियुक्त रूप से सौदा मूल्य समझेगा;

(3) अनुमति देता है – (क) जनसाधरण को भेंट, पुरस्कार या अन्य सामग्री देने का प्रस्ताव जबकि अभिप्राय ऐसे प्रदाय का नहीं है अथवा निःशुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव जबकि वास्तव में सौदे के अन्तर्गत अंशतः या पूर्णतः उसके मूल्य की वसूली पहले ही कर ली जाती है;

(ख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद की बिक्री उपयोग या आपूर्ति या व्यवसाय हित की वृद्धि के लिए प्रतियोगिता लाटरी, दैव या कौशल क्रीड़ा का संचालन;

[5] {(3–क) प्रभारमुक्त उपहारों, पुरस्कारों या अन्य मदों का प्रस्ताव करने वाले किसी योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों से, योजना के अन्तिम परिणाम के विषय में सूचना के प्रकट होने पर अपने पास रोक लेना;

स्पष्टीकरण– इस उपखण्ड के उद्देश्यों के लिए योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विषय में यह समझा जाएगा कि उन्हें योजना के अन्तिम परिणाम की सूचना दे दी गई है जहाँ ऐसे परिणाम एक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रमुख रूप से उसी समाचारपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं जिसमें योजना को मूल रूप से विज्ञापित किया गया था ।}

(4) उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए अभिप्रेत या प्रयोग के लिए संभावित वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति की अनुमति यह जानकर या समझकर भी देता है कि निष्पादन, संगठन, अन्तर्वस्तु, डिजाइन, संरचना, परिसज्जन या पैकिंग के मामले में ये वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं हैं, जो कि इन वस्तुओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को होने वाली हानि की संभावना या वास्तविक हानि को रोकने या कम करने के लिये अति आवश्यक है;

(5) वस्तुओं की जमाखोरी या विनष्टीकरण की अनुमति देता है या वस्तुओं की बिक्री करने में या बिक्री के लिए वस्तुओं में उपलब्ध कराने से इन्कार करता है यदि ऐसी जमाखोरी विनष्टीकरण या इन्कार से उन वस्तुओं या उनसे मिलती–जुलती वस्तुओं या सेवाओं की लागत में वृद्धि हो या वृद्धि की प्रवृत्ति हो;}

[6]{(6) बनावटी मालों का विनिर्माण या ऐसे मालों का विक्रय करने के लिए प्रस्ताव करना या सेवाओं की व्यवस्था में प्रवंचनापूर्ण प्रथाओं को अपनाना।}

(2) इस अधिनियम में ऐसे किसी अन्य अधिनियम या उसके उपबन्ध के प्रति किसी ऐसे निर्देश का जो किसी ऐसे क्षेत्र में जिसको यह अधिनियम लागू होता है, प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी अधिनियम या उसके उपबन्ध के प्रति निर्देश है।

3. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना – इस अधिनियम के उपलब्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

---

[5] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

[6] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

अध्याय 2

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

4. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ्—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के रूप में ज्ञात एक परिषद् का (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय परिषद् कहा गया है) गठन {करेगी।}[1]

(2) केन्द्रीय परिषद् में निम्ननिखित सदस्य होंगे अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार के [2]{उपभोक्ता मामले} विभाग का भारसाधक मंत्री जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सरकारी या गैरसरकारी सदस्यों की उतनी संख्या जो विहित की जाए।

5. केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों की प्रक्रिया — (1) केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होंगे किन्तु प्रत्येक वर्ष में परिषद् के [3]{कम से कम एक अधिवेशन} किए जाएंगे ।

(2) केन्द्रीय परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारोबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए।

6. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्य — केन्द्रीय परिषद् का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा, जैसे —

(क) जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय माल [4]{एवं सेवायें} के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार;

(ख) माल [5]{या सेवायें जैसी भी स्थिति हो} की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में, सूचित किए जाने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा सके;

(ग) जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल [6]{एवं सेवायें} सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार;

(घ) सुने जाने का और यह आश्वासन किए जाने का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित पीठों में सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा;

(ङ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार [7]{या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार} या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार; और

(च) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

7. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् — (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ..... उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के रूप में ज्ञात एवं परिषद् का (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य परिषद् कहा गया है) गठन {करेगी}[8]

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
[5] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
[6] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
[7] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]{2} राज्य परिषद् में निम्न सदस्यगण होंगे, नामतः –

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री जो कि इसका अध्यक्ष होगा;

(ख) इन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभागीय गैरविभागीय सदस्यों की ऐसी संख्या जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

[2]{(ग) अन्य शासकीय या अशासकीय सदस्यों की इतनी संख्या, जो दस से अधिक नहीं होगी, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाए।}

(3) राज्य परिषद् की मीटिंग उस समय होगी जब आवश्यकता होगी परन्तु प्रति वर्ष दो से कम मीटिंग नहीं की जाएगी।

(4) राज्य परिषद् की मीटिंग उस समय व स्थान पर होगी जो अध्यक्ष उचित समझे एवं कार्य संव्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया को ग्रहण किया जाएगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।}

8. राज्य परिषद् के उद्देश्य – प्रत्येक राज्य परिषद् का उद्देश्य राज्य के भीतर, धारा 6 के खण्ड (क) से खण्ड (च) में अधिकथित उपभोक्ता अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण करना होगा।

[3]{8क. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्– (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला में ऐसी तिथि, जैसा वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, से प्रभावी होने वाली एक परिषद् का गठन करेगी जिसे जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के नाम से जाना जाएगा।

(2) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (एतस्मिन्पश्चात् 'जिला परिषद्' के रूप में निर्दिष्ट) में निम्न सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) जिला कलेक्टर (चाहे जिस भी नाम से कहा जाए) जो इसका चेयरमैन होगा; और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली इतनी संख्या में अन्य शासकीय और अशासकीय सदस्यगण जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) जिला परिषद् की, जैसे और जब भी आवश्यक होगी बैठक होगी किन्तु प्रत्येक वर्ष दो से कम बैठकें नहीं होंगी।

(4) जिला परिषद् की बैठक जिला में ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा चेयरमैन उचित समझे और अपने कार्यों के संव्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

[4]{8 ख. जिला परिषद् का उद्देश्य – प्रत्येक जिला परिषद् का उद्देश्य जिला के भीतर धारा 6 के खण्ड (क) से खण्ड (च) में अधिकथित उपभोक्ता अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण करना होगा।}

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

अध्याय 3

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

9. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अभिकरणों की स्थापना की जाएगी, अर्थात्–

(क) राज्य सरकार "जिला पीठ" के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ की स्थापना [1]{★★} अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले में करेगी;

[2]{परन्तु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकेगी।}

(ख) [3]राज्य सरकार 'राज्य आयोग' के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा, राज्य में करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना, अधिसूचना द्वारा करेगी।

10. जिला पीठ की संरचना – [4](1) प्रत्येक जिला पीठ निम्न से मिलकर बनेगी–

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा;

[5]{(ख) दो अन्य सदस्य, जिसमें से एक महिला होगी जिसकी निम्न योग्यता होगी अर्थात्–

(i) पैंतीस वर्ष से कम आयु की नहीं होगी;

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हों;

(iii) योग्य, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले होंगे और जिसको अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का संव्यवहार करने का कम से कम दस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव होगा;

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदिः

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास का दण्डादेश दिया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्विष्ट हैः या

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

(घ) उसे सरकार या ऐसे निगमित निकाय, जो सरकार से स्वामित्वाधीन है या उसके द्वारा नियंत्रित है, की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ड़) उसका राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; या

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 7 द्वारा विलोपित किया गया।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 7 द्वारा विलोपित।
[4] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) उसमें ऐसी अन्य अनर्हता है जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।}

[1](1–क) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्न सदस्यों वाली चयन समिति के अनुमोदन पर की जाएगी–

(i) राज्य आयोग का अध्यक्ष–अध्यक्ष

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव – सदस्य

(iii) राज्य में उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रभार में होने वाला सचिव – सदस्य

[2]{परन्तु यह कि जहाँ राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं, वहाँ राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश को चेयरमैन के रूप में नामित करने के लिए मामले को निर्दिष्ट कर सकेगी।}

[3]{(2) जिला फोरम का प्रत्येक सदस्य, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूववर्ती हो, पद को धारण करेगा;

परन्तु यह कि कोई सदस्य पाँच वर्ष की एक अन्य अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पुर्ववर्ती हो, पुनर्नियुक्ति के लिए इस शर्त पर अर्ह होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति की योग्यता तथा अन्य शर्तों को पूरा करता हो तथा ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर ही की जाएगी।

परन्तु यह भी कि कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति जिसने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर उस सदस्य जिसे उपधारा (1–क) के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, के वर्ग से सम्बन्धित उपधारा (1) में उल्लिखित किसी योग्यता को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति, अपनी पदावधि की समाप्ति तक अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति के रूप में ऐसे पद को धारण किए रहेगा।}

(3) जिला पीठ के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

[4]{परन्तु यह कि किसी सदस्य की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति, जिला फोरम के कार्य बोझ सहित ऐसे घटकों, जो विहित किए जाएँ, पर विचार कर राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

11. जिला पीठ की अधिकारिता – (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला पीठ को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहाँ माल या सेवा का मूल्य और दावा प्रतिकर, यदि कोई है, [5]{बीस लाख से अधिक नहीं होती है।}

(12) परिवाद ऐसे जिला पीठ में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर–

(क) विरोधी पक्षकार, या जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहाँ विरोधी पक्षकारों में से हर एक परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

निवास करता है या [1]{कारोबार करता है अथवा शाखा कार्यालय है या} अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा

(ख) जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार है वहाँ विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या [2]{कारोबार करता है अथवा शाखा कार्यालय है} या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो जिला पीठ की इजाजत दे दी गई है या जो विरोधी पक्षकार पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते या [3]{कारोबार नहीं करते या जिनका शाखा कार्यालय नहीं है} या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपमत हो गए हैं; अथवा

(ग) वाद हेतु पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

[4]{12. रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा– (1) विक्रीत या परिदत्त या विक्रय या परिदान के लिए सहमत किसी माल के सम्बन्ध में अथवा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के सम्बन्ध में परिवाद जिला फोरम में निम्न के द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी–

(क) उपभोक्ता जिसको कि ऐसा माल विक्रय किया गया है या परिदत्त किया गया है अथवा विक्रय करने या परिदान करने के लिए सहमति दी गई है अथवा जिसको ऐसी सेवा उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की गई है;

(ख) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम चाहे उपभोक्ता, जिसको माल विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या माल विक्रय या परिदान करने के लिए सहमति प्रदान की गई है या सेवा उपलब्ध कराई गई है या सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान की गई है या सेवा उपलब्ध कराई गई है या सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान की गई है, इस संगठन का सदस्य हो या नहीं;

(ग) जहाँ बहुसंख्यक उपभोक्ताओं का समान हित हो तो वहाँ जिला फोरम की अनुमति से सभी ऐसे हितबद्ध उपभोक्ताओं की ओर से या उनके लाभ के लिए एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा; या

(घ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति द्वारा या तो अपने वैयक्तिक क्षमता में या सामान्य उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में।

(2) उपधारा (1) के अधीन दाखिल किए गये प्रत्येक परिवाद के साथ शुल्क की ऐसी धनराशि होगी और वह ऐसी रीति में देय होगी जैसा विहित किया जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गये परिवाद के प्राप्त होने पर जिला फोरम, आदेश द्वारा, परिवाद के आगे की कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा या उसे अस्वीकृत कर सकेगाः

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी परिवाद को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक परिवादी को सुने जाने का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो;

परन्तु यह भी कि परिवाद की ग्राह्यता का विनिश्चय सामान्य रूप से उस तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर किया जाएगा जिस तिथि पर परिवाद प्राप्त किया गया था।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी परिवाद को उसमें कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तब जिला फोरम, परिवाद में इस ढंग से कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा जैसा इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित है;

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु यह कि जहाँ जिला फोरम ने परिवाद को ग्रहण कर लिया है वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या के अधीन स्थापित किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष परिवाद का अन्तरण नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के उद्देश्य के लिए "मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" से आशय कम्पनी अधिनियम, 1956(अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1956) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम से है।}

[1]{13. परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया} – (1) जिला पीठ, किसी [2]{परिवाद के ग्रहण होने पर}, यदि वह किसी माल के सम्बन्ध में है–

[3]{(क) ग्रहण किए गये परिवाद की एक प्रति, इसके ग्रहण किए जाने की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार को यह निर्देश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिनों की अवधि या पन्द्रह दिनों से अनधिक ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर जो जिला फोरम द्वारा मंजूर की जाए, मामले के बारे में अपना कथन दे;}

(ख) जहाँ विरोधी पक्षकार खण्ड (क) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति पर परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है, या जिला पीठ द्वारा दिए गए समय के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है वहाँ जिला पीठ उपभोक्ता विवाद को खण्ड (ग) से खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति से निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ग) जहाँ परिवादी ने माल में किसी ऐसी त्रुटि का अभिकथन किया गया है जिसका अवधारण माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है वहाँ जिला पीठ परिवादी से माल का नमूना अभिप्राप्त करेगा, उसे सीलबंद करेगा और विहित अधिप्रमाणित करेगा और इस प्रकार सीलबंद नमूने को इस निर्देश के साथ समुचित प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा कि ऐसा प्रयोगशाला यह पता लगाने की दृष्टि से ऐसे विश्लेषण या परीक्षण जो भी आवश्यक हो, करे कि ऐसे माल में परिवाद में अभिकथित कोई त्रुटि है या नहीं अथवा माल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट निर्देश की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो जिला पीठ द्वारा मंजूर की गई हो, जिला पीठ को भेजेगा;

(घ) माल का कोई नमूना खंड (ग) के अधीन किसी समुचित प्रयोगशाला में निर्दिष्ट किए जाने के पूर्व, जिला पीठ परिवादी से प्रश्नगत माल के सम्बन्ध में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए समुचित प्रयोगशाला को संदाय के लिए ऐसी फीस जो विहित की जाए पीठ के खाते में जमा कराने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ड़) जिला पीठ खंड (घ) के अधीन उसके खाते में जमा की गई रकम को समुचित प्रयोगशाला को प्रेषित करेगा जिससे कि वह खंड (ग) में वर्णित विश्लेषण या परीक्षण कर सके और समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने पर जिला पीठ ऐसे टिप्पणी सहित जो जिला पीठ उचित समझे, रिपोर्ट की एक प्रति विरोधी पक्षकार को भेजेगा;

(च) यदि कोई पक्षकार समुचित प्रयोगशाला के किसी निष्कर्ष की सत्यता के बारे में विवाद करता है या समुचित प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या परीक्षण की पद्धति के सही होने के बारे में विवाद करता है तो जिला पीठ विरोधी पक्षकार या परिवादी से समुचित प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट की बाबत उसके आक्षेपों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) जिला पीठ तत्पश्चात्, परिवादी तथा विरोधी पक्षकार को, समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट की सत्यता के बारे में अन्यथा और खंड (च) के अधीन सम्बन्ध में किए गए आक्षेपों के बारे में भी सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देगा और धारा 14 के अधीन एक समुचित आदेश जारी करेगा।

(2) जिला पीठ, यदि धारा 12 के अधीन उसके द्वारा [1]{ग्रहण किया गया परिवाद} ऐसे माल के सम्बन्ध में है जिसकी बाबत उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता है या यदि परिवाद किसी सेवा के सम्बन्ध में है, तो वह–

(क) ऐसे परिवाद की एक प्रति विरोधी पक्षकार को उसे यह निर्देश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिनों की अवधि के भीतर या पन्द्रह दिनों से अनधिक की ऐसी बढाई गई अवधि के भीतर, जो जिला पीठ द्वारा मंजूर की जाए, अपना कथन प्रस्तुत करेगा;

(ख) जहाँ विरोधी पक्षकार खंड (क) के अधीन उसको निर्दिष्ट, परिवाद की प्रति की प्राप्ति पर, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उसका प्रतिवाद करता है या जिला पीठ द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या उसमें असफल रहता है तो जिला पीठ निम्नलिखित आधार पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगा–

(i) जहाँ विरोधी पक्षकार परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथन से इंकार करता है या उसका प्रतिवाद करता है वहाँ परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी दृष्टि में जाए गए साक्ष्य के आधार, या

(ii) जहाँ विरोधी पक्षकार पीठ द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या उसमें असफल रहता है वहाँ परिवादी द्वारा उसकी दृष्टि में लाए गए [2]{साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय रूप से;}

[3]{(ग) जहाँ परिवादी सुनवाई की तारीख पर जिला पीठ के समक्ष उपसंजात होने में असफल हो जाता है वहाँ जिला पीठ या तो परिवादों को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगी या इसे गुणावगुण पर विनिश्चित कर सकेगी।}

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी भी कार्यवाही को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है।

[4]{(3–क) प्रत्येक परिवाद पर यथासम्भव शीघ्रता से सुनवाई की जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस के प्राप्त किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर जहाँ परिवाद में वत्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण अपेक्षित नहीं है और पाँच माह के भीतर जहाँ परिवाद में वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण अपेक्षित है, परिवाद को विनिश्चित कर दिया जाए :

परन्तु यह कि जिला पीठ सामान्य रूप से कोई भी स्थगन तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक पर्याप्त कारण प्रदर्शित न किए गये हो और पीठ ने लिखित में ऐसे स्थगन की मंजूरी के कारणों को लेखबद्ध न किया हो :

परन्तु आगे यह कि जिला पीठ स्थगत के कारण वाद–व्यय के सम्बन्ध में ऐसे आदेश करेगा जैसा इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनियमावली में उपबन्धित किया जाए;

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विहित अवधि के पश्चात् विस्तारित किए जाने वाले परिवाद की दशा में जिला पीठ उक्त परिवाद के निस्तारण करने के समय उसके लिए लिखित में कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3–ख) जहाँ जिला पीठ के समक्ष किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान इसे आवश्यक प्रतीत होता है, तब वहाँ ऐसे अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में न्यायसंगत तथ उचित हो।}

(4) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला पीठ को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शाक्तियाँ होंगी, जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय होती है, अर्थात्

(i) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा करना;

(ii) साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य दस्तावेज या किसी अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य पेश करना;

(iv) समुचित प्रयोगशाला या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अध्यपेक्षा करना;

(v) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कोई कमीशन निकालना;

(vi) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाएं।

(5) जिला पीठ के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिला पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195, और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

[1]{(6) जहाँ परिवादी धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में सन्दर्भित उपभोक्ता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 1 नियम 8 के प्रावधान, उससे सन्दर्भित वाद या डिक्री के सन्दर्भ में प्रत्येक निर्देश, संशोधन के विषयाधीन रहते हुये, ऐसे प्रयोज्य होगा मानो वह जिला फोरम के आदेश या परिवाद के लिए निर्देश हो।}

[2]{(7) किसी ऐसे परिवादी, जो एक उपभोक्ता है, या ऐसे विरोधी पक्षकार, जिसके विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है, की मृत्यु की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 वर्ष 1908) के प्रथम अनुसूची के आदेश 22 के उपबन्ध इस उपान्तरण के अधीन लागू होंगे कि उसमें वादी और प्रतिवादी के प्रति किए गये प्रत्येक निर्देश का परिवादी या विरोधी पक्षकार यथास्थिति के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।}

14. जिला पीठ के निष्कर्ष – (1) यदि धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात्, जिलापीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है, परिवाद में विनिर्दिष्ट कोई त्रुटि है या सेवाओं के बारे में परिवाद में अंतर्विष्ट कोई अभिकथन साबित हो गया है तो वह विरोधी पक्षकार को निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक बातें [3]{करने का} निर्देश देने वाला आदेश जारी करेगा, अर्थात् :–

(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना;

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलना;

(ग) परिवादी द्वारा विरोधी पक्षकार को संदत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों को परिवादी को वापस लौटाना;

(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए परिवाद को प्रतिकार के रूप में अधिनिर्णीत की गई है।

[1]{परन्तु यह कि जिला पीठ को दण्डात्मक क्षतिपूर्ति ऐसी परिस्थितियों में मंजूर करने की शक्ति होगी जैसा वह उचित समझे।}

[2]{(ड़) प्रश्नगत [3]{मालों के दोषों} या सेवाओं में कमी को दूर करना;}

(च) अनुचित व्यापार प्रथा या प्रतिबंधित प्रथा को बंद करना या उनकी पुनरावृति नहीं करना;

(छ) जोखिमपूर्ण माल के विक्रय का प्रस्ताव नहीं करना;

(ज) जोखिमपूर्ण माल विक्रय के लिए प्रस्तावित किया गया हो उसको वापस लेना;

[4]{(जक) जोखिम पूर्ण मालों के विनिर्माण बन्द करना तथा ऐसी सेवाओं, जो जोखिम प्रकृति की हो, का प्रस्ताव करने से प्रतिविरत होना;

(जख) ऐसी रकम का भुगतान करना जो इसके अवधारित किए जाए, यदि इसकी यह राय है कि ऐसी भारी संख्या में उपभोक्तागण, जिनकी सुविधापूर्वक पहचान नहीं की जा सकती, हानि या क्षति से पीड़ित हुए हैं;

परन्तु यह कि इस प्रकार देय रकम की न्यूनतम धनराशि ऐसे उपभोक्ताओं की ऐसी त्रुटिपूर्ण विक्रीत मालों या प्रदत्त सेवाओं, यथास्थिति, के मूल्य के पाँच प्रतिशत से कम नहीं होगी;

परन्तु आगे यह कि इस प्रकार प्राप्त की गई धनराशि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जमा की जाएगी तथा ऐसी रीति से उसका उपयोग किया जाएगा जैसा विहित किया जाए;

(जग) भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को, ऐसे विरोधी पक्षकार, हो ऐसे भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं, के खर्च पर निष्क्रिय करने के लिए सुधार किए गये विज्ञापन जारी करना।}

(झ) पक्षकारों को पर्याप्त हर्जाना दिलाना।}

[5]{(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही का संचालन जिलापीठ के अध्यक्ष और उसके साथ बैठने वाले जिलापीठ के कम से कम एक सदस्य द्वारा किया जाएगा;

[6]{परन्तु जहाँ किसी कारण से वह सदस्य उस कार्यवाही का संचालन उसके पूर्ण होने तक करने में असमर्थ है, वहाँ अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य कार्यवाही उस अवस्था से जारी रखेगा जिस अवस्था पर पूर्ववर्ती सदस्य ने इसकी अन्तिम बार सुनवाई की थी।}

(2–क) जिलापीठ द्वारा उपधरा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश पर उसके अध्यक्ष और एसे सदस्य या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसने या जिन्होंने कार्यवाही का संचालन किया है;

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।
[5] 1991 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु जहाँ कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा किया जाता है और उनका किसी प्रश्न या किन्हीं प्रश्नों पर मतभेद है तो वे उस प्रश्न या उस प्रश्नों को, जिन पर उसका मतभेद है, कथित करेंगे और उसे ऐसे प्रश्नों पर सुनवाई के लिए अन्य सदस्य को निर्दिष्ट करेंगे तथा बहुमत की राय जिलापीठ का आदेश होगा।}

(3) पूर्वगामी उपबंन्धों के अधीन रहते हुए, जिलापीट के अधिवेशनों के संचालन, उसकी बैठकों और अन्य विषयों से सम्बन्धित प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

15. अपील– जिलापीठ द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उस आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग को अपील कर सकेगाः

परन्तु राज्य आयोग, तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर फाइल न करने का पर्याप्त कारण थाः

[1]{परन्तु आगे यह कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिससे जिलापीठ के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित है, द्वारा कोई अपील, राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी ने उस धनराशि का पचास प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, विहित रीति में जमा न कर दिया हो।}

16. राज्य आयोग की संरचना– (1) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो किसी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो उसका अध्यक्ष होगाः

[2]{परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय के सिवाय नहीं की जाएगी।}

[3]{(ख) कम से कम दो सदस्यगण और इतनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं होगें जैसा विहित किया जाए और उसमें से एक महिला होगी जिसमें निम्न योग्यताएँ होगी अर्थातः–

(1) पैंतीस वर्ष से कम आयु की नहीं होंगे;

(2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हों;

(3) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले हो और जिसको अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्य प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का संव्यवहार करने का कम से कम दस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव होः

परन्तु यह कि अधिक से अधिक पचास प्रतिशत सदस्य, न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति से होंगे।

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें जिला स्तर के न्यायालय या समकक्ष स्तर के किसी न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि का ज्ञान तथा अनुभव होः

परन्तु आगे यह कि कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा यदि

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 13 द्वारा जोड़ा गया।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास का दण्डादेश दिया गया हैः जिसमे, राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यमता अन्तर्विष्ट है;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

(घ) उसे सरकार या ऐसे निगमित निकाय, जो सरकार के स्वामित्वाधीन हैं या उसके द्वारा नियंत्रित है, की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ड़) उसका, राज्य सरकार की राय में वित्तीय या अन्य हित है, जिसके सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; या

(च) उसमें ऐसी अन्य अनर्हता है जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।}

[1]{(1क) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी जिसमें निम्न सदस्यगण होंगे अर्थात :–

(i) राज्य आयोग का अध्यक्ष ..... चेयरमैन

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव ..... सदस्य

(iii) राज्य में उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रभारी सचिव ..... सदस्य

परन्तु यह कि जहाँ राज्य आयोग का अध्यक्ष, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, चयन समिति के चेयरमैन के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं वहाँ राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को चेयरमैन के रूप में कार्य करने हेतु नामित करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास मामला को निर्देशित करेगा।

(1ख) (i) राज्य आयोग की अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा की जाएगी।

(ii) पीठ का गठन एक या अधिक सदस्यों जैसा अध्यक्ष उचित समझे, सहित अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी।

(iii) यदि पीठ के सदस्यों में किसी बिन्दु पर राय में मतभेद हो जाता है तब बिन्दुओं का विनिश्चय बहुमत की राय से किया जाएगा, यदि बहुमत है, किन्तु यदि सदस्यगण समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, तब वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं, जिन पर उनमें मतभेद है, का अधिकथन करेंगे तथा अध्यक्ष के पास निर्देश करेंगे जो या तो स्वयं ही बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई करेगा या मामले को ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर एक या अधिक या अन्य सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए निर्देशित करेगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं को, उन सदस्यों, जिन्होंने इसे पहले सुना था, सहित ऐसे सदस्यों, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, की बहुमत की राय से विभाजित किया जाएगा।}

(2) राज्य आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते ता उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्ते [2]{★★★} वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाँए।

[3]{परन्तु यह कि पूर्णकालिक आधार पर किसी सदस्य की नियुक्ति, राज्य आयोग के कार्यबोझ सहित ऐसे घटकों, जैसा विहित किया जाए, पर विचार कर राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।}

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 13 द्वारा विलोप किया गया।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

[1]{(3) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा

परन्तु यह कि कोई भी सदस्य पाँच वर्ष की एक अन्य अवधि या 67 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, तक नियुक्त किए जाने के लिए इस शर्त के अधीन अर्ह होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए योग्यताओं और अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इस धारा की उपधारा, (1) के खण्ड (क) में उपबन्धित ढंग में पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगाः

परन्तु यह भी कि कोई भी सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति जिसने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर उस सदस्य, जिसे उपधारा (1–क) के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, के वर्ग से सम्बधित उपधारा (1) में उल्लिखित किसी योग्यता को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा भेजा जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी पदावधि की समाप्ति तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे पद को धारण किए रहेगा।}

17. राज्य आयोग की अधिकारिता – [2]{(1)} इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग को निम्नलिखित अधिकारिता होगी अर्थात् –

(क) (i) ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जहाँ माल या सेवाओं का मूल्य और दावा प्रतिकर यदि कोई है [3]{बीस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रूपऐ से अधिक नहीं} है; और

(ii) उस राज्य के भीतर किसी जिला पीठ के आदेशों के विरूद्ध अपील ग्रहण करना; और

(ख) जहाँ राज्य आयोग को यह प्रतीत हो कि किसी जिलापीठ ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है वहाँ किसी ऐसे उपभोक्ता विवाद के जो राज्य के भीतर किसी जिलापीठ के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया गया है अभिलेखों को मांगना और समुचित आदेश पारित करना।

[4]{(2) कोई परिवाद, उस राज्य आयोग के समक्ष संस्थित की जाएगी जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर–

(क) विरोधी पक्षकार या जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार है वहाँ हर एक विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारोबार करता है या उसकी शाखा कार्यालय है या लाभ के लिए स्वयं काम करता है; या

---

[1] 1993 के प्रधिनियम सं० 50 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित तथा पुनः 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 13 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कोई भी विरोधी पक्षकार, जहाँ एक से अधिक हो, परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छया निवास करता है या कारोबार करता है, या उसकी शाखा कार्यालय है या लाभ के लिए स्वयं काम करता है परन्तु यह कि ऐसे मामलें में या तो राज्य आयोग की अनुमति दी जाए या विरोधी पक्षकारगण, जो निवास नहीं करते हैं या कारोबार नहीं करते हैं, या जिनकी शाखा कार्यालय नहीं है या स्वयं लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, वे ऐसे संस्थित किए जाने के लिए मौन सम्मति दे दी हो; या

(ग) वादहेतुक, पूर्णतः या भागतः उत्पन्न हुआ हो।}

[1]{17–क. मामलों का अन्तरण – परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से राज्य आयोग, कार्यवाही की किसी भी अवस्था में राज्य के भीतर जिलापीठ के समक्ष लम्बित किसी परिवाद को किसी अन्य जिला पीठ के समक्ष अन्तरण कर सकता है यदि न्यायहित में ऐसा अपेक्षित है।}

[2]{17–ख. सर्किट पीठ– राज्य आयोग सामान्य रूप से राज्य की राजधानी में कार्य करेगी किन्तु वह अपने कार्य का ऐसे अन्य स्थान पर भी निर्वहन कर सकेगी जैसा राज्य सरकार, राज्य आयोग के साथ परामर्श से समय–समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी।}

18. राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया– [3]{धारा 12, धारा 13 और धारा 14 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान} जिला पीठ द्वारा परिवादों के निपटारे के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हो, राज्य आयोग के निपटारे को लागू होगी।

[4]{18क. ★ ★ ★ ★ ★}

19. अपील – धारा 17 के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उस आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा।

परन्तु राष्ट्रीय आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

[5]{परन्तु आगे यह कि किसी भी ऐसे व्यक्ति, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबन्धनों में कोई धनराशि भुगतान किया जाना अपेक्षित है, द्वारा कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी ने धनराशि का पचास प्रतिशत या पैंतीस हजार रुपये, जो भी कम हो, विहित रीति में जमा नहीं कर दिया हो।}

[6]{19–क. अपील की सुनवाई– राज्य आयोग का राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दाखिल की गई किसी भी अपील की सुनवाई यथासम्भव शीघ्रता से की जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि अपील के ग्रहण किए जाने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया जाए।

परन्तु यह कि राज्य आयोग का राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति सामान्य रूप से कोई भी स्थगन मंजूर नहीं करेगी जब तक पर्याप्त कारण न प्रदर्शित कर दिया जाए और ऐसे आयोग ने स्थगन की मंजूरी के लिए लिखित कारण लेखबद्ध न कर दिया होः

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 15 द्वारा विलुप्त।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु आगे यह कि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यथास्थिति, स्थगन के कारण हुए खर्चों के सम्बन्ध में आदेश करेगा जैसा इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनियम में उपबन्धित किया जाए:

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् निस्तारित किए जाने वाली अपील की दशा में राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, उक्त अपील के निस्तारण किए जाने के समय उसके लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करेगा।}

20. राष्ट्रीय आयोग का गठन – (1) राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और जो उसका अध्यक्ष होगा:

[1]{परन्तु इस खण्ड के तहत कोई नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के बिना नहीं की जाएगी}

[2]{(ख) कम से कम चार सदस्य और सदस्यगण की इतनी संख्या से अधिक नहीं होगी, जैसा विहित किया जाए, और जिसमें से एक महिला होगी जिनमें निम्न योग्यताएं होंगी अर्थात्–

(i) पैंतीस वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे;

(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हो;

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले होंगे और जिसको अर्थशास्त्र, विधि वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्य; प्रशासन से सम्बधित समस्याओं का संव्यवहार करने का कम से कम दस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हो;

परन्तु यह कि अधिक से अधिक पचास प्रतिशत सदस्य, न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों" से होंगे।}

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों का तत्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें जिला स्तर के न्यायालय या समकक्ष स्तर के किसी न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि का ज्ञान तथा अनुभव हो:

परन्तु आगे यह कि कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा यदि–

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि किया गया है और कारावास का दण्डादेश दिया गया है जिसमें केन्द्र सरकार की राय में, नैतिक अद्यमता अन्तर्विष्ट है; या

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित्त का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हुआ हो; या

(घ) उसे सरकार या ऐसे निगमित निकाय, जो सरकार के स्वामित्वाधीन है या उसके द्वारा नियंत्रित है, की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ड़) उसका केन्द्र सरकार की राय में वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; या

(च) उसने ऐसी अन्य अयोग्यता है जैसा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाए:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी जिसमें निम्न होंगे अर्थात्:–

[1] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) ऐसा व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया है ..... अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार में विधिक मामलों के विभाग में सचिव ..... सदस्य

(ग) भारत सरकार में उपभोक्ता मामलों का संव्यवहार करने वाले विभाग का सचिव ..... सदस्य

[1]{(1–क) (i) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग उसकी पीठें कर सकेगी।

(ii) खण्डपीठ का गठन अध्यक्ष तथा एक या एक से अधिक सदस्यों, जैसा अध्यक्ष उचित समझे, द्वारा किया जा सकेगा।

(iii) यदि पीठ के सदस्यों में किसी बिन्दु पर राय में मतभेद हो जाता है तब बिन्दुओं का विनिश्चय बहुमत की राय से किया जाएगा यदि बहुमत की राय है किन्तु यदि सदस्यगण समान रूप से विभाजित हो जाते हैं तब वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं, जिन पर उनमें मतभेद है, का अभिकथन करेंगे तथा अध्यक्ष के पास निर्देश करेंगे, जो या तो स्वयं ही बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई करेगा या मामले को ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर एक या अधिक या अन्य सदस्यों द्वारा सुनवाई किए जाने के लिए निर्देश करेगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं को उन सदस्यों, जिन्होंने इसे पहले सुना था, सहित ऐसे सदस्यों, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, की बहुमत की राय से विनिश्चित किया जाएगा।}

(2) राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन व शर्तें वे होंगी जो केन्द्र सरकार द्वारा विहित की जाए।

[2]{(3) राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, तक पद धारण करेगाः

परन्तु यह कि प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की एक दूसरी अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, तक इस पुनः नियुक्ति के लिए इस शर्त के अधीन अर्ह होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए योग्यताओं तथा अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती हो :

परन्तु आगे यह कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति भी उपधारा (1) के खण्ड (क) में उपबन्धित रीति में पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगाः

परन्तु यह भी कि कोई भी सदस्य, केन्द्र सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में अपना पद त्याग कर सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति, जिसने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर उस सदस्य, जिसे उपधारा (1–क) के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, के वर्ग से सम्बन्धित उपधारा (1) में उल्लिखित किसी योग्यता को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी पदावधि की समाप्ति तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे पद को धारण किए रहेगा।}

21. राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता– इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित आधिकारिता होगी, अर्थात्–

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) (i) ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जहाँ माल या सेवाओं का मूल्य अथवा दावा प्रतिकर यदि कोई है [1]{एक करोड़ रुपए} से अधिक है; और

(ii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपील ग्रहण करना;

(ख) जहाँ राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत हो कि राज्य आयोग ने ऐसे किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है वहाँ किसी ऐसे उपभोक्ता विवाद के जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया गया है, अभिलेखों को मांगना और समुचित आदेश पारित करना।

[2]{22. राष्ट्रीय आयोग की प्रयोज्य शक्ति तथा प्रक्रिया– (1) जिला पीठ द्वारा परिवादों के निस्तारण के लिए धारा 12, 13 तथा 14 के उपबन्ध एंव उसके अधीन निर्मित नियम, ऐसे उपन्तरण सहिता, जैसा आयोग द्वारा आवश्यक समझा जाए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निस्तारण पर लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय आयोग को अपने द्वारा पारित किये गये किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी जहाँ अभिलेख के आमुख से त्रुटि प्रत्यक्ष हो।}

[3]{22–क. एक पक्षीय आदेशों को अपास्त करने की शक्ति– जहाँ राष्ट्रीय आयोग ने विरोधी पक्षकार या परिवादी, यथास्थिति, के विरूद्ध कोई आदेश एक पक्षीय पारित कर दिया है, वहाँ पीड़ित पक्षकार न्यायहित में उक्त आदेश को अपास्त करनें के लिए आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

22–ख. मामलों का अन्तरण– परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से राष्ट्रीय आयोग, कार्यवाही की किसी भी अवस्था में, न्यायहित में, किसी राज्य के जिला पीठ के समक्ष लम्बित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य की जिला पीठ के समक्ष या किसी एक राज्य आयोग के समक्ष लम्बित किसी परिवाद को, किसी अन्य राज्य आयोग के समक्ष अन्तरित कर सकेगा।

22–ग. सर्किट पीठें– राष्ट्रीय आयोग सामान्य रूप से नई दिल्ली में कार्य करेगा और किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा जैसा केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से समय–समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे।

22–घ. अध्यक्ष पद की रिक्ति– जब जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यथास्थिति, के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या ऐसे पद को धारण करने वाला व्यक्ति, अनुपस्थिति के कारण से या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, का वरिष्ठतम सदस्य करेगाः

परन्तु यह कि जहाँ उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय आयोग का सदस्य है, तब वहाँ ऐसा सदस्य या जहाँ ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है तब ऐसे सदस्यों में वरिष्ठतम व्यक्ति, उस आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता करेगा।}

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित तथा 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 22 द्वारा पूर्व धारा 22 के स्थान पर धारा 22–क, 22–ख, 22–ग एवं 22–घ प्रतिस्थापित।

23. अपील– धारा 21 के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उस आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगाः

परन्तु उच्चतम न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

[1]{परन्तु आगे यह कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिससे राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश के निबन्धन में किसी धनराशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, द्वारा कोई अपील उच्चतम न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा जब तक उस व्यक्ति ने उस धनराशि का पचास प्रतिशत या पचास हजार रुपये, जो भी कम हो, विहित रीति में जमा न कर दिये हों।}

24. आदेशों की अन्तिमता– जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है, अंतिम होगा।

[2]{24–क. परिसीमा अवधि– (1) जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि यह वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक से दो वर्ष, की अवधि में प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के वर्णित होते हुये भी उपधारा (1) में वर्णित अवधि से परे भी परिवाद ग्रहण की जा सकती है यदि परिवादी जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसी स्थिति हो, को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास उस अवधि के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत न करने का समुचित कारण थाः

परन्तु ऐसी कोई परिवाद ग्रहण नहीं की जावेगी जब तक कि जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसी भी स्थित हो, विलंब क्षमा किये जाने के कारणों को अभिलिखित न करे।}

[3]{24–ख. प्रशासनिक नियंत्रण– (1) राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर निम्न मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, नामतः–

(i) मामले संस्थित होने, निराकृत होने, लंबित रहने बाबत अवधि विवरण की मांग करना;

(ii) मामले की सुनवाई के सम्बन्ध में एक सी प्रक्रिया करने, एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिलिपि विपरीत पक्ष को उपलब्ध कराने, किसी भी भाषा से लिखे गये निर्णय का अंग्रेजी में अनुवाद करने, दस्तावेजों की प्रतिलिपि शीघ्रता से प्रदान करने बाबत निर्देश जारी करना;

(iii) राज्य आयोग या जिला फोरम के कार्यों को सामान्य तौर पर इस आशय से देखना कि अधिनियम का उद्देश्य व आशय सर्वोत्तम तरीके से हासिल किया जा सके, परन्तु उनकी बिना किसी अर्द्धन्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किये।

(2) राज्य आयोग उसकी अधिकारिता के तहत जिला फोरमों पर प्रशासनिक नियंत्रण, उपधारा (1) में सन्दर्भित सभी मामलों में रखेगा।}

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित।

[1]{25. जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तनः– (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किए गये किसी अन्तरिम आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, वहाँ जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, ऐसे आदेश का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क किये जाने का आदेश कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई भी कुर्की का प्रवर्तन तीन माह से अधिक की अवधि के लिए रहेगा जिसके अन्त में, यदि अनुपालन जारी रहता है तब कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और उसके आगमों में से जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग परिवादी को ऐसी क्षतिपूर्ति एवार्ड कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और अतिशेष (Balance) यदि कोई हो, का भुगतान उसके लिए हकदार पक्षकार को कर देगा।

(3) जहाँ जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यथास्थिति के द्वारा किए गये किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति से कोई धनराशि शोध्य है तब धनराशि का हकदार व्यक्ति, जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, के समक्ष आवेदन कर सकेगा और ऐसा जिला पीठ, या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उक्त धनराशि के लिए एक प्रमाण–पत्र जिला के कलेक्टर (उसे चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए) को जारी कर सकेगा और कलेक्टर उसी रीति में धनराशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, जैसा भू–राजस्व का बकाया हो।}

[2]{26. व्यर्थ या तंग परिवादों का रद्द किया जाना– जहाँ जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष संस्थित परिवाद व्यर्थ या तंग करने वाली पायी जाती है तो वह कारण लेखबद्ध करने के उपरांत, परिवाद निरस्त करेगा और इस आशय या आदेश पारित करेगा कि परिवादी विपरीत पक्ष को ऐसा हर्जा जो आदेश में वर्णित है वह जो दस हजार रुपये से अधिक न हो, अदा करे।}

27. शास्तियाँ– [3]{(1)} जहाँ कोई व्यापार या ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है [4]{या परिवादी} यथास्थिति, जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसका लोप करेगा तो वहाँ ऐसा व्यापारी या व्यक्ति [3]{या परिवादी} ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगाः

[5]{* * * }

[6]{(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का 2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जिला पीठ, या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इस प्रकार शक्तियों के प्रदान कर दिये जाने पर जिला पीठ, या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति जिसे इस प्रकार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कि उद्देश्य के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों का विचारण जिला पीठ या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति द्वारा संक्षिप्तः किया जाएगा।}

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 23 द्वारा पुनसंख्यांकित।
[4] 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित।
[5] 2002 के अधिनियम की धारा 23 द्वारा विलुप्त।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित।

[1]{27–क. धारा 27 के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध अपील– (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 27 कि अधीन कोई अपील, तथ्यों तथा विधि दोनों पर–

(क) जिला पीठ के द्वारा किये गये आदेश से राज्य आयोग के समक्ष;

(ख) राज्य आयोग के द्वारा किए गये आदेश से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष;

(ग) राष्ट्रीय आयोग के द्वारा किए गये आदेश से उच्चतम न्यायालय के समक्ष; होगी।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय, जिला पीठ, या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश से कोई अपील किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, जिला पीठ, या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी;

परन्तु राज्य आयोग, या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय, यथास्थिति, तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील को ग्रहण का सकेगी यदि, उसका यह समाधान हो जाता है कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील दाखिल न कर पाने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था।}

अध्याय 4
प्रकीर्ण

28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण– इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए किसी आदेश के निष्पादन के लिए या सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी सदस्य या जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

[2]{28–क. नोटिस इत्यादि की तामील– (1) समस्त नोटिसों जिन्हें इस अधिनियम के अधीन तामील किया जाना अपेक्षित है, की तामील उस रीति में की जाएगी, जैसा एतस्मिनपश्चात् उपधारा (2) में उल्लिखित है।

(2) नोटिसों की तामील विरोधी पक्षकार जिसके विरूद्ध परिवाद किया जाता है या परिवादी को सम्बोधित रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसे कूरियर सर्विस द्वारा जैसा जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा अनुमोदित किया जाए, या (फैक्स संदेश सहित) दस्तावेजों के किसी पारेषित करने के किसी अन्य माध्यम द्वारा नोटिस की एक प्रति का परिदान या पारेषण द्वारा की जा सकेगी।

(3) जब विरोधी पक्षकार या उसके, अभिकर्ता या परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित अभिस्वीकृति या कोई अन्य रसीद जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा प्राप्त की जाती है या नोटिस युक्त डाकवस्तु डाक कर्मचारी या कूरियर सर्विस द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित इस पृष्ठांकन के साथ जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा वापस प्राप्त की जाती है कि विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता या परिवादी ने नोटिस युक्त डाक वस्तु का परिदान लेने से इन्कार कर दिया है या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से उसे परिदत्त या पारेषित किए जाने पर नोटिस को स्वीकार करने

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 25 द्वारा अंतःस्थापित।

से इन्कार कर दिया है तब जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, यह घोषित कर सकेगा कि विरोधी पक्षकार या परिवादें पर नोटिस सम्यक रूप से तामील कर दी गई हैः

परन्तु यहाँ नोटिस उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्वसंदाय करके और रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा सम्यक रूप से भेजा गया या वहाँ इस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर–उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से नोटिस जारी किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति को प्राप्त नही हुई है।

(4) विरोधी पक्षकार या परिवादी पर तामील की जाने वाली सभी नोटिसों की तामील पर्याप्त समझी जाएगी यदि उसे, विरोधी पक्षकार के मामले में, उस स्थान पर के लिए, जहाँ कारोबार या व्यावसाय किया जाता है, और परिवादी के मामले में उस स्थान पर के लिए जहाँ ऐसा व्यक्ति वास्तव में तथा स्वेच्छया निवास करता है, सम्बोधित किया जाता है।}

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राज्यपत्र में आदेश द्वारा ऐसा उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

[1]{(3) यदि उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तब केन्द्र सरकार, आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से ऐसी कोई भी चीज कर सकेगी जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न होः

परन्तु यह कि उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई भी ऐसी आदेश नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किए गये प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।}

[2]{29–क. रिक्तियों या नियुक्ति में त्रुटियों से आदेशों का अविधिमान्य न होना– जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्य के पद में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।}

[3]{30. नियम बनाने की शक्ति– (1) केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क), धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), धारा 5 की उपधारा (2), धारा 12 की उपधारा (2), धारा 13 की उपधारा (4) के खण्ड (vi), धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ज ख), धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा (2), धारा 22 तथा धारा 23 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम निर्मित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा उपधारा (4), धारा 8 क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा उपधारा (4), धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा उपधारा (3), धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ज ख) तथा उपधारा (3), धारा 15 तथा धारा 16 की उपधारा (7) के खण्ड (ख) तथा उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।}

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 34 की धारा 4 द्वारा (15–6–1991 से) अंतःस्थापित।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]{30–क. राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति– (1) राष्ट्रीय आयोग, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के उद्देश्य से ऐसे समस्त मामलो, जिसके लिए उपबन्ध आवश्यक तथा समीचीन है, का उपबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम निर्मित कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, के समक्ष किसी कार्यवाही के स्थगन के ऐसे खर्चों के लिए उपबन्ध निर्मित कर सकेगी। जिसका भुगतान करने के लिए किसी पक्षकार को आदेश किया जा सकेगा।}

[2]{31. संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नियमों तथा विनियमों का रखा जाना– (1) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम तथा प्रत्येक विनियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा तथा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के यथासम्भव शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।}

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 28 द्वारा अंतःस्थापित।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।